संख्या: 2/2023/254 /004-68-2002-099-2-2022
अनुदान संख्या-83

प्रेषक,
अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
निदेशक,
साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा,
उर्दू एवं प्राच्य भाषायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 21 मार्च, 2023

विषयः **नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक- सा0एवंवै0शि0/11675-82/2022-23 , दिनांक 10.02.2023 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा-01 प्रारम्भिक शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2,04,30,000 के सापेक्ष केन्द्रांश धनराशि रू. 62,76,000.00 (रूपये बासठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनान्तर्गत) में किया जाएगा जिस कार्य/मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में निहित शर्तों तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत योजना के गाईड-लाइन्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Search easily www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत है तथा भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के अनुपात में है।

(5) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

2- इस संबंध में होने वाले व्यय धनराशि रू. 62,76,000.00 (रूपये बासठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा-01 प्रारम्भिक शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या -यू0ओ0-E-11-277-X-22-23 दिनांक 17-3-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- अवर सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/प्रयागराज ।
6- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
8- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(महेन्द्र प्रसाद भारती)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।